If there is anything worng with the election, they can go to the Election Commissioner. On the other hand, if it is a question of law and order, it is a State subject and it cannot be raised here. Members cannot fight the elections in this House. If they want to refer to any point, they will get an opportunity today during the discussion on the Motion of Thanks to the President.

Today I have allowed only Shri Madhu Limaye to speak under rule 377. I am not permitting anybody else to raise any point now They cannot raise any point of order because there is nothing before the House

Now, Shri Madhu Limaye

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान एक प्रेस रिपोर्ट की ओर खींचना चाहता हूं। यह बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के ध्यान में यह बात नहीं लाई गई है। चीफ इलेक्ट्रल आफिसर ने कहा है कि गाईघाटा चुनाव-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर ने पांच पोलिंग बूथों पर मतगणना रोक दी है। गणना तब तक नहीं होगी जब तक चुनाव आयोग से निर्देश नहीं मिलेगा .....

MR SPEAKER. You have quoted the electoral officer's report. I can send that to the Law Minister. You can get factual information as may be ascertained from the electoral officer's office. So far as the other matters are concerned, they cannot be our subject.

I am not permitting any one on this issue. This House cannot decide which election is good or which election is bad It is for the Election Commissioner to decide.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): As a protest, we walk out.

Shri Jyotirmoy Bosu and some other members then left the House

MR. SPEAKER: I will tell you, in one of the elections where I was concerned some people lifted the ballot boxes and ran away. I followed the procedure of going to the Election Commissioner. I did not go to Parliament or the Legislative Assembly. There are procedures laid down for it. It was in 1962 that it happened. They ran away with the ballot boxes. They were later on dealt with. But I followed the procedure.

Shri Madhu Limaye.

12.40 Hrs.

MATTER UNDER RULE 377

LEVY IMPOSED BY INDIAN COTTON TEXTILE EXPORT PROMOTION COUNCIL ON COTTON YARN, ETC.

श्री मधु लिमये (बांका) अध्यक्ष महोदय, यह कर सम्बन्धी मामला है और मुझे इस बात पर अफसोस है कि सचार मंत्री और व्यापार मंत्री या तो संविधान की जानकारी नहीं रखते है या जानबूझ कर संविधान की धाराओं का उल्लंघन होने दे रहे है। संविधान की 265 धारा में साफ शब्दों में लिखा है कि—

"No tax shall be levied or collected except by authority of law"

बिना कानून पास किए कोई भी व्यक्ति या संस्था लोगों से टैक्स वसूल नहीं कर सकती। लेकिन आपका ध्यान मैं दो तीन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं जिस से बिल्कुल साफ होगा कि संविधान की इस धारा का उल्लंघन सरकार करती जा रही है।

टेलीफोन विभाग का जहां तक सवाल है जो सचार मंत्रालय के मातहत आता है उसमें टेलीफोन के लिए जो नई अर्जियां दी जाती है उनके ऊपर दस रुपये की लेवी लगा रखी है। इसके लिए कोई कानून नहीं बना है और मेरी राय में संविधान की 265 धारा का यह स्पष्ट उल्लंघन है। बिना कानून बनाए न सरकार कोई टैक्स लगा सकती है न लगाने की अनुमति दे सकती है। तो टेलीफोन विभाग के द्वारा 265 धारा का जो उल्लंघन किया गया है उसके बारे में खुलासा आना चाहिए और मंत्री महोदय ने अगर पार्लियामेंट के अधिकारों के ऊपर आक्रमण किया है तो यह मामला पार्लियामेंट की या तो पब्लिक एकाउंट्स कमेटी या प्रिविलेजेज कमेटी के सामने जाना चाहिए

[श्री मधु लिमये]

दूसरा मामला है इंडियन काटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल का इसके अन्दर जो सूत विदेशों में भेजा जाता है उसके ऊपर एक रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से लेवी लगायी हुई है। इसके लिए भी कोई कानून नहीं है। क्या हम लोग इस तरह का गैर-कानूनी काम करने की इजाजत दे सकते हैं?

पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने कुछ साल पहले इसके सम्बन्ध में जो अपनी राय व्यक्त की है उस में से एक जुमला मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उसमें लिखा है

"The Sub-Committee are surprised to learn that even when there is no sanction from the Government and Parliament, the Textile Commissioner gives his 'moral support' to the Indian Cotton Mills Federation for realising a premium amount on foreign cotton and a fee on Indian cotton consumption. The Sub-Committee are of the view that, however, desirable that objective, this compulsory levy has all the ingredients of a tax and hence, it should be levied only with the prior sanction of the Parliament and should be operated by an official agency."

इसके साथ साथ यह इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन का जनल है इसके सितम्बर के अंक में एक और लेवी की चर्चा की गई है। उसमें कहा गया है

"The Committee of the Federation at their meeting held on the 6th September, 1973 decided to request all mills to pay the Export Promotion Fund of the Federation, fees calculated at the rate of 0.4% of the turn-over based on balance-sheets which have ended on any day between 1st July, 1972 and 30th June, 1973, that is, balance sheets with year ending in September, 1972, December, 1972, March, 1973, June, 1973, etc.

The operation of ICMF's Export Promotion Fund had come to a grinding half due to the drying up of imports of foreign cotton consequent upon the imposition of import duty of 40%, followed by a steep rise in the prices quoted by Sudan."

इसके अलावा यह इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन लूमेज के ऊपर और स्पिंडलेज के ऊपर भी लेवी लगाता रहा है। क्या इस तरह आप निजी संस्थाओं को लेवी लगाने की इजाजत दे सकते हैं?..

श्री इन्द्रजीत गुप्त वह मेम्बर्स आफ दि फेडरेशन के लिए है।

श्री मधु लिमये वह फीस लेवी के रूप में है। अगर उस फीस की रसीद नहीं मिलेगी तो इन लोगों का शिपिंग बिल एन्डोर्स नहीं किया जायगा। कौंसिल जब तक शिपिंग बिल एन्डार्स नहीं करती है तब तक सूत का एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि यह टैक्स है। तो क्या यह मामला पब्लिक एकाउंट्स कमेटी या प्रिविलेजज कमेटी में नहीं जाना चाहिए।

SHRI N. K. P. SHAVE (Betul) What are the ingredients of a tax?

श्री मधु लिमये कम्पल्सरिली जिसे देना पड़े जिस के न देने में नुकसान उस व्यक्ति या कम्पनी का होता हो। आप तो समझते ही हैं। कान्ट्रीब्यूशन और टैक्स में यह फर्क है कि कान्ट्रीब्यूशन दे या न दे यह तो उस व्यक्ति के हाथ में है। उसमें किसी भी व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है। लेकिन आप कहेंगे कि शिपिंग बिल हम एन्डोर्स नहीं करेंगे जब तक यह पैसा नहीं देंगे तो यह टैक्स है। और यह क्या है?

तो इसके ऊपर फैसला सदन में नहीं हो सकता है। इसके ऊपर सदन की कमेटी को बैठना चाहिए और इसकी तह में जा कर इसका फैसला करना चाहिए।

और एक बात मैं रखना चाहता हूं। अब तक क्या होता था कि विदेशों से जो रूई मंगाई जाती थी उसके ऊपर ये लोग लेवी लगाते थे और एक्सपोर्ट प्रोमोशन के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। ऐसा इनका कहना है। इसके भी कई घोटाले

है कई बार मैं उस के ऊपर बोल चुका हूं कोई जवाब नहीं आया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दस साल तक लम्बे फाइबर वाली रूई मगाई जाती थी। किस लिए? निर्यात के लिए नहीं। कुल 20 लाख बेल लांग स्टेपल फाइबर दुनिया मे पैदा होती है जिसमे अमेरिका जैसा धनी देश एक लाख बेल इस्तेमाल करता है। जापान दो लाख बेल इस्तेमाल करता है वह भी निर्यात के लिए। लेकिन यह गरीब देश चार लाख बेल मगवाता था और सारे हिन्दुस्तान के जो बड़े लोग हैं उनके उपभोग के लिए महीन कपड़ा बनाने के वास्ते इस्तेमाल करता था। एक पैसे का उसमें एक्सपोर्ट नहीं होता था। इस बात को दामानी जी भी काट नहीं सकते। इस गरीब देश मे क्या चार लाख बेल अमीरों के लिए कपड़ा बनाने के लिए 100 करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च करके मगवाना चाहिए था? इसके ऊपर ये लेवी लगा कर एक्सपोर्ट प्रामोशन का काम चलाते थे। अब वह कहते हैं कि यह बन्द हो गया है। बन्द हो तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरीके से जारी रह है। यह पूरा मामला आप अपने विवेक से या तो प्रिविलेजेज कमेटी मे भेजिए या पब्लिक एकाउंटस कमेटी मे भेजिए।

MR. SPEAKER : Now we take up the next item.....

श्री मधु लिमये : इस पर आप क्या कर रहे है?

अध्यक्ष महोदय : मै देखूगा। आफ हैंड आन्सर मै इस वक्त नहीं दे सकता।

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Behar) : Mr. Speaker, Sir. . .

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय की गेड फेयर एलेक्शन का क्या हुआ? इसके पहले उस पर कुछ होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह हो चुका जो होना चाहिए।

श्री मधु लिमये : नका भाषण होने के पहले इस पर कोई फैसला करना चाहिए। वरना अपने मित्रो के साथ विलम्ब से ही सही मुझे सदन त्याग करना ही पड़ेगा।

Shri Madhu Limaye then left the House.

अध्यक्ष महोदय : जैसे आप फी एण्ड फेयर रहे अपने वाक आउट मे ऐसे ही वह भी रहे

12.45 Hrs.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

MR. SPEAKER : We will now take up discussion on the President's Address. Shri B. K. Daschowdhury.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Behar): Sir, I beg to move:

> "That an Address be presented to the President in the following terms:—
>
> 'That the Members of Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the 18th February, 1974."

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): You have seen our gratefulness in the Central Hall on the 18th!

MR. SPEAKER. Don't be proud of that. There is nothing to be proud of.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: We are not ashamed.

MR. SPEAKER : If you are not ashamed of it, then God help.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Let them help others

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): God will not help Mr. Jyotirmoy Bosu.

MR. SPEAKER : Nothing can help him. It is much better if he had kept quiet.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY : This House has conferred a great honour to the people of my constituency by permitting me to move this respectful Motion of